



कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, दमोह

आवेदन क्रमांक: 169360

आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता

मान्यता दिनांक - 15/12/2023

प्रति,

अध्यक्ष,

Veetrag Vigyan Foundation Damoh

Shining Star Play School

DAMOH, दमोह, मध्यप्रदेश

विषय:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 19/10/2023 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्पूर्ति पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके - Shining Star Play School स्कूल आईडी -PS73920 विकासखंड-DAMOH को स्कूल का प्रकार प्राथमिक सह माध्यमिक, शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2024 से 31/03/2027 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - आयु के सबूत के आभाव में ;
 - यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - प्राथमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित कक्षोनति प्रदान की जायेगी।
 - किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक ही कार्यरत रखे जाये। स्कूल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित मापदंडों के पूर्ति करते हुये मान्यता अवधि तक शिक्षको की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जायेगी।
 - शिक्षको को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।



श्रीमति सुलोचना खन्ना
सचिव

वीतराम एज्युकेशनल एंड वेलफेयर
विज्ञान सोसायटी, दमोह

- (झ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्धियों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
- (ञ) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय विनियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बढ़ोतरी की जा सकती है।
8. स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।
10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

1. स्कूल के भवन की स्थिति	किराए का भवन
2. स्कूल परिसर का क्षेत्रफल	66000
3. कुल निर्मित क्षेत्रफल	66000
4. खेल मैदान का क्षेत्रफल	40000
5. कक्षाओं के कमरों की संख्या	18
6. प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष	3
7. लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन	हाँ
8. स्वच्छ पेयजल सुविधा	हाँ
9. मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर	1
10. बाधा रहित प्रवेश की सुविधा	हाँ
11. पठन-पाठन सामग्री	हाँ
12. खेल एवं खेलकूद उपकरण	हाँ
13. पुस्तकालय की उपलब्धता	हाँ
14. शिक्षको की संख्या	12

11. लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयकको भेजी जाएगी।
12. आपके स्कूल को आवंटित मान्यता कोड नम्बर 73920 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
14. यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्धियों का पालन हो रहा है। शाला को स्कूल बसों में महिला कंडक्टर की उपलब्धता के संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
15. सोसायटी/न्यास, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
16. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय.

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केंद्र

Digitally signed by MUKESH KUMAR DWIVEDI
Date: 2023.12.15 12:53:01 +05:30
Reason: RTE school recognition
Location:

* मान्यता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है, भौतिक हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है।



श्रीमति सुलोचना खन्ना
सचिव
वीतराग एज्युकेशनल एंड वेलफेयर
विज्ञान सोसायटी, दमोह



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2024 / 323
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18.01.24

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिला:—दमोह, म.प्र.

विषय:— अशासकीय विद्यालय SHINING STAR PLAY SCHOOL के नाम परिवर्तन संबंध में।

अशासकीय विद्यालय SHINING STAR PLAY SCHOOL स्कूल आईडी PS73920 का नाम Shinning Star International School आरटीई पोर्टल पर परिवर्तन करने हेतु दस्तावेजो सहित निर्धारित शुल्क जमा कर प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

1:— स्कूल का पूर्व नाम:— SHINING STAR PLAY SCHOOL

2:— स्कूल का प्रस्तावित नवीन नाम:— SHINING STAR INTERNATIONAL SCHOOL

उक्त स्कूल का नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को मान्य किया जाता है। आरटीई पोर्टल पर स्कूल का यह नवीन नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इस स्कूल का नाम UDISE+ पोर्टल पर भी जिला परियोजना समन्वयक स्तर से उक्तानुसार परिवर्तित करने की कार्यवाही करें।

पूर्व नाम से जारी मान्यता में उल्लेखित अन्य जानकारी, मान एवं मानक तथा मापदंड, स्थान स्कूल द्वारा यथावत रखी जाना अनिवार्य है एवं मान्यता नियम तथा समस्त शर्तें पूर्ववत ही लागू होंगी।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(राकेश पाण्डेय)
निदेशक आरटीई
राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल दिनांक 18.01.24

पृष्ठांकन क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2024 / 324
प्रतिलिपि:—

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह की ओर सूचनार्थ।
- 2 प्रधानाध्यापक SHINING STAR PLAY SCHOOL जिला दमोह की ओर पालनार्थ।

सचिव
वीतराम एज्युकेशनल एंड वेल्फेयर
विज्ञान सोसायटी, दमोह

निदेशक
राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2023 / 5056
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/07/2023

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिला:- दमोह म.प्र.

विषय:- अशासकीय विद्यालय Shining Star Play School की समिति परिवर्तन के संबंध में।
सन्दर्भ:- जिला परियोजना समन्वयक दमोह का पत्र क्रमांक 476 दिनांक 02.06.2023

अशासकीय विद्यालय Shining Star Play School PS73920 की समिति परिवर्तन हेतु आवश्यक दस्तावेज निर्धारित शुल्क जमा करते हुये प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

1:- वर्तमान समिति का नाम:- Veetrag Vigyan Foundation Damoh

2:- नवीन समिति:- Veetrag Educational and Welfare Vigyan Society Damoh

इस स्कूल के संचालन हेतु नवीन समिति का नाम प्रस्ताव अनुसार मान्य किया जाता है। स्कूल को जारी की मान्यता हेतु आवश्यक शर्तें एवं नियम यथावत मान्य करना अनिवार्य होगी। पुरानी समिति एवं नवीन समिति के वित्तीय देनदारी हेतु विभाग की कोई जबाबदारी नहीं होगी। जारी मान्यता में उल्लेखित अन्य जानकारी यथावत रखी जाये एवं नियम तथा शर्तें नवीन समिति पर पूर्ववत लागू होगी।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(राकेश पाण्डेय)
निचत्रक आरटीई
राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल दिनांक 27/07/2023

पृष्ठांकन क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2023 / 5057
प्रतिलिपि:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह की ओर सूचनार्थ।
- 2 प्रधानाध्यापक / अध्यक्ष स्कूल Shining Star Play School जिला दमोह की ओर पालनार्थ।



समितिके अध्यक्ष

सचिव

वीतराग एज्युकेशनल एंड वेलफेयर |

विज्ञान सोसायटी, दमोह

निचत्रक
राज्य शिक्षा केन्द्र